राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उत्तर प्रदेश में POSH अधिनियम, 2013 विषयक कार्यशाला का आयोजन, 23 मार्च 2026

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013” विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.), लखनऊ में 23 मार्च 2026 को श्री आशेष अग्रवाल, उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में किया गया।

कार्यक्रमकी मुख्य वक्ता श्रीमती शुभा श्रीवास्तव, वैज्ञानिक-एफ एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी आंतरिक शिकायत समिति (ICC), एन.आई.सी. उत्तर प्रदेश की अध्यक्षा थीं। उन्होंने अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का विस्तृत परिचय दिया तथा प्रतिभागियों, विशेष रूप से एन.आई.सी. लखनऊ की महिला कर्मचारियों, को कार्यस्थल पर उपलब्ध उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों एवं प्रतितोष तंत्र के संबंध में जागरूक किया।

कार्यशाला के दौरान श्रीमती शालिनी सिंह, वैज्ञानिक-डी, ने SHe-Box (Sexual Harassment electronic Box) पोर्टल पर विस्तृत प्रस्तुति दी। यह पोर्टल भारत सरकार की एक पहल है, जो संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण हेतु एकल खिड़की मंच के रूप में कार्य करता है। यह भी बताया गया कि पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतें आवश्यक कार्रवाई हेतु सीधे संबंधित सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर दी जाती हैं।

अपने समापन उद्बोधन में श्रीमती शुभा श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों को अवगत कराया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाएँ अपनी शिकायत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) अथवा SHe-Box पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकती हैं। उन्होंने समिति के सदस्यों का परिचय भी कराया तथा सभी उपस्थित प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी आंतरिक शिकायत समिति, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. श्रीमती शुभा श्रीवास्तव, अध्यक्ष, वैज्ञानिक-एफ
2. श्री संतोष कुमार मिश्रा, सदस्य, अनुभाग अधिकारी
3. श्रीमती शालिनी सिंह, सदस्य-संयोजक, संयुक्त निदेशक (आई.टी.) एवं वैज्ञानिक-डी
4. सुश्री अपर्णा खरे, सदस्य, संयुक्त निदेशक (आई.टी.) एवं वैज्ञानिक-डी

A WORKSHOP ON THE POSH ACT, 2013

23 March 2026, NIC Uttar Pradesh State Centre

A workshop on "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" was conducted at the National Informatics Centre (NIC), Uttar Pradesh Centre, Lucknow on 23 March 2026 under the guidance of Shri Ashesh Agrawal, Deputy Director General and State Informatics Officer, Uttar Pradesh.

Smt. Shubha Srivastava, Scientist-F and Chairperson of the Internal Complaints Committee (ICC) on Sexual Harassment at Workplace, NIC Uttar Pradesh, was the resource person for the session. She provided a comprehensive overview of the key provisions of the Act and created awareness among the participants, especially the women employees of NIC Lucknow, regarding their rights, protection, and redressal mechanisms available at the workplace.

During the workshop, Smt. Shalini Singh, Scientist-D, made a detailed presentation on the SHe-Box (Sexual Harassment electronic Box) portal, an initiative of the Government of India. The portal serves as a single-window complaint registration platform for women employed in the organized as well as unorganized sectors, and in both the public and private sectors, to report incidents of workplace sexual harassment. It was also explained that complaints registered on the portal are forwarded directly to the competent authority for appropriate action.

In her concluding remarks, Smt. Shubha Srivastava informed the participants that women facing sexual harassment at the workplace may submit their complaints either to the Internal Complaints Committee (ICC) or through the SHe-Box portal. She also introduced the members of the Committee and thanked all attendees for their participation.

The following members are part of the Internal Complaints Committee on Sexual Harassment at Workplace, Uttar Pradesh:

1. Smt. Shubha Srivastava, Chairperson, Scientist-F
2. Shri Santosh Kumar Mishra, Member, Section Officer
3. Smt. Shalini Singh, Member-Convener, Joint Director (IT) & Scientist-D
4. Ms. Aparna Khare, Member, Joint Director (IT) & Scientist-D

Gallery / गैलरी